

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली/प्रशा. शहरों/अभियान/प.1(71)/336 दिनांक : 20-3-2013

--: संशोधित कार्यालय आदेश ::--

नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के संशोधित आदेश क्रमांक प3(25)नवि/3/2006 जयपुर दिनांक 12.03.2013 के द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 23.11.2012 में विगत वर्षों में ई.डब्ल्यू.एस., एल.आई.जी. एवं मध्यम आय वर्ग के मकानों पर मासिक किशतों का भुगतान समय पर नहीं किये जाने के कारण ब्याज राशि एवं शांति में छूट बाबत निर्धारित पूर्व तिथि दिनांक 30.09.2012 का अंकन हो गया था, जिसे अब दिनांक 31.03.2012 पढा जावे।


इसी क्रम में इस कार्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक वसूली/प्रशा. शहरों/अभियान/प.1(71)/289 दिनांक 31.01.2013 में अंकित दिनांक 30.09.2012 के स्थान पर 31.03.2012 पढा जावे।

उक्त आदेश को आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख निजी सचिव- अध्यक्ष, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
5. सचिव, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
6. निदेशक विधि, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय पी.एण्ड.एम./निजी सचिव-वित्तीय सलाहकार/तकनीकी सहायक, आवासन आयुक्त/जन सम्पर्क अधिकारी, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
8. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा. आ. मण्डल, जयपुर।
9. उप आवासन आयुक्त वृत रा. आ. म.
10. आवासीय अभियन्ता, राज.आवा. म.
11. लेखाधिकारी(वसूली)/सम्पदा प्रबन्धक, राज. आवा. मण्डल, वृत
12. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सभी को मेल करे।
13. रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ लेखाधिकारी (वसूली)